Memorandum of Understanding

Between

The Government of the Republic of Mozambique

and

The Government of the Republic of India

On Cooperation in the Field of

Production and Marketing of Pigeon Peas

The Government of the Republic of Mozambique, through the Ministry of Agriculture and Food Security and the Government of the Republic of India, through the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, (hereinafter jointly referred to as "Parties" and individually as "Party"),

Recognising the importance of the 1975 General Agreement that establishes the diplomatic relations between the Republic of Mozambique and the Republic of India;

ACKNOWLEDGING the complementarities between the markets of both countries;

DESIROUS to promote and strengthen the existing economic and commercial relationship between the two countries, in conformity with the principles of equality and mutual benefit;

TAKING INTO CONSIDERATION the laws and rules in force in the two countries:

Hereby Agree as Follows:

Article 1 (Objective)

The objectives of this MoU are as follows:

 Promoting the production of pigeon peas and other pulses in Mozambique through active cooperation between the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution of the Republic of India and the Ministry of Agriculture and Food Security of the Republic of Mozambique;

TSI

 Encouraging progressive increase in the quantity of pigeon peas and other pulses traded between Mozambique and India, subject to the quantities produced and the consumption requirements of both countries.

Article 2 (Areas of Cooperation)

For the purposes of this MoU, the Parties undertake to develop the following actions:

- 1. Support production of pigeon peas in Mozambique;
- 2. Promote consumption of pigeon peas;
- 3. Provide farmers with agricultural extension services;
- 4. Cooperate in the areas of research and production of seeds;
- 5. Promote the trade of pigeon peas from Mozambique to India;
- 6. Promote production and trade of other varieties of pulses from Mozambique to India.

Article 3 (Modalities of Cooperation)

- 1. Promotion of Production:
 - a) The Government of the Republic of India shall help the Government of Mozambique to establish a Mission Mode programme for increasing the acreage and yields of pulses in Mozambique.
 - b) For this purpose, the Parties will commence a project within one year from the date of the signature of this MoU. The Government of the Republic of India will provide financial and technical support for designing and implementing the Mission-Mode programme, including stationing of Indian agricultural experts in

institutions to be designated by the Ministry of Agriculture and Food Security of Mozambique, provision of high-yield seeds, technical assistance for strengthening agricultural extension services for pulse-growing farmers, and helping create enabling environment for trading in pulses between Mozambique and India.

- c) The Government of Mozambique will provide office space and facilities for Indian experts deputed to institutions designated by its Ministry of Agriculture, and provide land for creating test-farms as mutually agreed under the Mission Mode project.
- 2. Purchase Commitment: Through the above collaborations aimed at increasing the production of pigeon peas and other pulses grown in Mozambique, both Parties agree to target the following minimum quantities of exports of these two products from Mozambique to India over the next five financial years (April to March), whether through the private channels or through Government to Government sales:

2016-17	100,000 tons	
2017-18	125,000 tons	
2018-19	150,000 tons	
2019-20	175,000 tons	
2020-21	200,000 tons	

3. In January of every financial year, both Parties will evaluate the total quantity of pigeon pea and other pulses exports that have taken place until then. If there is any shortfall in the above targets, the Government of the Republic of India.

through MMTC, undertakes to purchase any surplus stocks available with the Government of Mozambique, up to the above limits, at the price based on the Minimum Support Price for these two crops declared by the Government of the Republic of India for public procurement in India, with suitable adjustments for cost of procurement, freight. These adjustments would be mutually decided between both Parties after examining the relevant data.

- Payments for imports shall be made based on the Letter of Credit submitted by MMTC in favor of the designated Agency of the Republic of Mozambique;
- 5. The pigeon peas shall be subject to pre-shipment inspection for the assurance of quantity, quality and other parameters. The inspection will be carried out by an independent agency, mutually acceptable to both Parties;
- The Parties are required to observe the standards regarding the specifications and inspection according to the norms of food security, phytosanitary and quarantine measures in both countries.

Article 4 (Competent Authorities)

For the purpose of this MoU, the competent authorities shall be the following:

- For the Government of the Republic of Mozambique: the Ministry of Agriculture and Food Security, represented by the Institute for Agrarian Investigation of Mozambique.
- For the Government of the Republic of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, represented by MMTC Limited.

m

Article 5 (Joint Monitoring Committee)

- The Parties shall establish a Joint Monitoring Committee, whose objective it is to ensure the implementation of the provisions of the this MoU;
- 2. The Joint Monitoring Committee shall convene ordinarily once a year, alternately in the territory of either Party, or whenever need arises.

Article 6 (Involvement of Third Parties)

- The MoU does not constitute a hindrance to either Party from conducting independent research in the areas covered by Article 2 of this MoU;
- With a minimum 30-day notice, the Parties shall consult mutually whenever there is the intention to share the results of joint research with third Parties.

Article 7 (Confidentiality)

The Parties shall not disclose nor use any confidential information that they may have come across under the present MoU, unless a special request for that purpose is made and granted to the requesting Party by the other Party.

Article 8 (Conflict Resolution)



Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the present MoU, shall be solved amicably through consultations and negotiations between the Parties.

Article 9 (Termination & Suspension)

- Either Party may terminate or suspend the implementation of this MoU by means of advance notice of force majeure contingencies to the other Party;
- Apart from force majeure considerations, either Party's intention to terminate this MoU must be notified to the other Party in writing at least 90-day notice in advance;
- The termination or suspension of the present MoU shall not affect the on-going cooperation activities, which must be implemented on until their agreed conclusion, unless otherwise agreed by the Parties.

Article 10 (Entry into Force)

This MoU shall enter into force on the date of its signing, and shall remain valid for a period of five years. Thereafter, it shall be automatically renewable for equal and successive periods at a time, unless either Party expresses the intention to terminate it. In case of such renewal, the Parties will negotiate new quantitative targets to be mentioned in Paragraph 2 of Article 3 of this MoU.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this MOU.

Done in Maputo on July 7, 2016 in two originals each in English, Hindi and Portuguese languages, all texts being equally authentic.

by

THE

In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution of the Republic of India For the Ministry of Agriculture and Food Security of the Republic of Mozambique

(Amar Sinha)

Secretary (Economic Relations) Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi

अरहर के उत्पादन और विपणन

में सहयोग के संबंध में

मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

समझौता ज्ञापन

मोजाम्बिक गणतंत्र की सरकार, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के माध्यम से और भारत गणतंत्र की सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (इसके बाद इन्हें संयुक्त रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा) के माध्यम से,

मोजाम्बिक गणतंत्र की सरकार और भारत गणतंत्र की सरकार के बीच राजनयिक संबंधों को स्थापित करने वाले 1975 के आम समझौते के महत्व को मान्यता देते हुए;

दोनों देशों के बाजारों की परस्पर अनुपूरकताओं को स्वीकार करते हुए;

समानता एवं परस्पर लाभ के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए दोनों देशों के बीच विद्यमान आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों का संवर्धन करने और उन्हें मजबूत बनाने की इच्छा से;

दोनों देशों में लागू कानूनों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1 (उद्देश्य)

इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- भारतीय गणतंत्र के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा मोजाम्बिक गणतंत्र के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के बीच सिक्रिय सहयोग के माध्यम से मोजाम्बिक में अरहर तथा अन्य दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना;
- 2. दोनों देशों में उत्पाद तथा उपभोग की जरूरत के अध्यधीन, मोजाम्बिक और भारत के बीच व्यापारित होने वाली अरहर दाल तथा अन्य दालों की मात्रा में प्रगामी बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करना।





अनुच्छेद 2 (सहयोग के क्षेत्र)

इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनार्थ, पक्षकार निम्नलिखित कार्यकलापों को प्रोत्साहन देंगे :

- 1. मोजाम्बिक में अरहर की दाल के उत्पादन में सहयोग करना:
- 2. अरहर की दाल के उपभोग को प्रोत्साहित करना:
- 3. किसानों को कृषि विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराना;
- 4. बीजों के अनुसंधान तथा उत्पादन के क्षेत्रों में सहयोग करना;
- 5. मोजाम्बिक से भारत में अरहर दाल के व्यापार को प्रोत्साहित करना;
- 6. मोजाम्बिक से भारत में अन्य किस्मों की दालों के व्यापार को प्रोत्साहित करना।

अनुच्छेद 3 (सहयोग का तरीका)

- उत्पादन को प्रोत्साहन :
 - क) भारत गणतंत्र की सरकार मोजाम्बिक में दालों के क्षेत्रफल एवं उपज में बढ़ोतरी करने के लिए एक मिशन मोड कार्यक्रम की स्थापना करने हेतु मोजाम्बिक सरकार की सहायता करेगी।
 - ख) इस प्रयोजनार्थ, दोनों पक्षकार इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष के अंदर एक परियोजना शुरू करेंगे। भारत गणतंत्र की सरकार; मोजाम्बिक के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा पदनामित किए जाने वाले संस्थानों में भारतीय कृषि विशेषज्ञों को तैनात करने, अधिक उपज वाले बीज उपलब्ध कराने, दाल उगाने वाले किसानों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करने हेतु तकनीकी सहायता देने और मोजाम्बिक एवं भारत के बीच दालों के व्यापार हेतु समर्थकारी वातावरण का सृजन करने में मदद करने सहित मिशन मोड कार्यक्रम को डिजाईन करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी।
 - ग) मोजाम्बिक सरकार अपने कृषि मंत्रालय द्वारा पदनामित संस्थानों में तैनात किए जाने वाले भारतीय विशेषज्ञों के लिए कार्यालय स्थल तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तथा मिशन मोड परियोजना के तहत परस्पर यथा सहमत परीक्षण-फार्मों का सृजन करने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।



2. खरीद संबंधी प्रतिबद्धता : उपरोक्त सहयोग, जिसका उद्देश्य मोजाम्बिक में उगाई जाने वाली अरहर तथा अन्य दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना है, के माध्यम से अगले पांच वित्त वर्षों (अप्रैल से मार्च) के दौरान दोनों पक्षकार इन दोनों उत्पादों के मोजाम्बिक से भारत को निर्यात की निम्नलिखित न्यूनतम मात्रा के लक्ष्य पर सहमत हैं, चाहे यह गैर-सरकारी चैनल के माध्यम से हो या सरकार द्वारा सरकार को बेचे जाने के माध्यम से:

2016-17	100,000 ਟਜ	
2017-18	125,000 ਟਜ	
2018-19	150,000 ਟਜ	
2019-20	175,000 ਟਜ	
2020-21	200,000 ਟਜ	

- 3. प्रत्येक वित्त वर्ष के जनवरी माह में दोनों पक्षकारों द्वारा तब तक निर्यात की गई अरहर और अन्य दालों की कुल मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा, यदि उपर्युक्त लक्ष्यों में कोई कमी पाई जाती है तो भारत गणराज्य की सरकार एम.एम.टी.सी. के माध्यम से, मोजाम्बिक सरकार के पास उपलब्ध सरप्लस स्टॉक की उपर्युक्त सीमा तक खरीद, इन दोनों फसलों की भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति के लिए भारत गणराज्य की सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, अधिप्राप्ति की लागत, माल-भाड़े के समुचित समायोजनों सहित आरम्भ करेगी। ये समायोजन, प्रासंगिक आंकड़ों की जांच करने के उपरांत, दोनों पक्षकारों के बीच आपसी विचार-विमर्श द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- आयातों का भुगतान एम.एम.टी.सी. द्वारा मोजाम्बिक गणराज्य की पदनामित एजेंसी के पक्ष में लैटर ऑफ क्रेडिट प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाएगा।
- 5. मात्रा, गुणवत्ता और अन्य मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, अरहर दाल शिपमेंट-पूर्व जांच के अध्याधीन होगी। यह जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा की जाएगी जिसका निर्धारण दोनों देशों की आपसी सहमति से किया जाएगा।
- 6. पक्षकारों द्वारा विशिष्टताओं संबंधी मानकों का पर्यवेक्षण और जांच दोनों देशों के खाद्य सुरक्षा, फसल की स्वच्छता और संगरोध मानदंडों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

h

अनुच्छेद-4 (सक्षम प्राधिकारी)

इस समझौता-ज्ञापन के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे।

- मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के लिए: कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय, जिसका प्रतिनिधित्व कृषि अन्वेषण संस्थान, मोजाम्बिक द्वारा किया जाएगा।
- भारत की गणराज्य की सरकार के लिए: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जिसका प्रतिनिधित्व एम.एम.टी.सी. लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 5 (संयुक्त निगरानी समिति)

- पक्षकार संयुक्त निगरानी सिमिति का गठन करेंगे, जिनका उद्देश्य इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होगा।
- 2. संयुक्त निगरानी समिति की बैठक सामान्यत: वर्ष में एक बार दोनों देशों में बारी-बारी से होगी अथवा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पक्षकार देश में होगी।

अनुच्छेद 6 (तीसरे पक्षकार की भागीदारी)

- यह समझौता, किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2 में शामिल क्षेत्रों में स्वतंत्र अनुसंधान करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
- जहां कहीं भी संयुक्त अनुसंधान के परिणामों का आदान-प्रदान किसी तृतीय पक्ष के साथ करने की आवश्यकता होगी तो दोनों पक्ष न्यूनतम 30 दिन के नोटिस पर पारस्परिक सहमित से इसे अनुगृहीत करेंगे।



अनुच्छेद 7 (गोपनीयता)

पक्षकार वर्तमान समझौता ज्ञापन के तहत आने वाली गोपनीय सूचना को तब तक न तो प्रकट करेंगे अथवा न ही उसका उपयोग करेंगे, जब तक कि याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा उस प्रयोजनार्थ अनुरोध नहीं किया जाता और दूसरे पक्ष द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी जाती।

अनुच्छेद 8 (विवाद समाधान)

विद्यमान समझौता ज्ञापन की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद का निपटान पक्षकारों द्वारा विचार-विमर्श और बातचीत के माध्यम से सदभाव-पूर्वक किया जाएगा।

अनुच्छेद 9 (आस्थ्रगन और निरस्तीकरण)

- 1. कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष को अपरिहार्य आकस्मिकताओं की जानकारी देते हुए अग्रिम नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को आस्थगित अथवा निरस्त कर सकेगा।
- 2. अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त, किसी पक्ष द्वारा इस समझौता ज्ञापन को आस्थिगित करने का अपना आशय दूसरे पक्ष को कम से कम 90 दिनों के अग्रिम नोटिस द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा।
- 3. इस समझौता ज्ञापन का आस्थगन अथवा निरस्तीकरण चल रही सहयोगात्मक गतिविधियों को प्रभावित नहीं करेगा और वे पक्षों द्वारा व्यक्त की गई सहमित के अनुसार अंत तक निरंतर कार्यान्वित की जाएंगी, जब तक कि पक्षकारों द्वारा कोई अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

M

TOP

अनुच्छेद 10 (प्रवृत्त होना)

यह समझौता ज्ञापन, इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा और पांच वर्षों की अवधि तक वैध रहेगा। इसके उपरांत, यदि कोई पक्ष इसे आस्थिगित करने का आशय व्यक्त नहीं करता है तो, यह समान और अगली अविध के लिए स्वतः पुनर्नवीनीकृत हो जाएगा। इस प्रकार के नवीनीकरण के मामले में पक्षों द्वारा इस समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 में दिए गए मात्रात्मक लक्ष्यों के संबंध में नए सिरे से बातचीत की जाएगी।

इसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा प्राधिकृत किए जाने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषा, प्रत्येक की दो मूल प्रतियां दिनांक 7 जुलाई, 2016 को मापुतों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं। व्याख्या में किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ का प्रयोग किया जाएगा।

भारत गणराज्य के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से

मोजाम्बिक गणराज्य के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय की ओर से

श्री अमर सिन्हा

सचिव (आर्थिक संबंध)

(विदेश मंत्रालय), भारत सरकार

नई दिल्ली